प्रेस नोट संख्या 47
दिनांक 23.09.2024
सराहनीय कार्य थाना जायस जनपद अमेठी
पुलिस मुठभेड़ में हत्या के अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, आलाकत्ल ईंट व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 22.09.2024 को श्री रवि कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जायस जनपद अमेठी मय हमराही द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन के दौरान नसीराबाद रोड लोहिया पुल के पास मौजूद थे कि तभी नसीराबाद बार्डर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुराने पुल के उबड़ खाबड़ मार्ग की तरफ भागने लगा व पुलिस बल को अपने पीछे आता देखकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया जिससे अभियुक्त मौके पर ही गिर गया, पास जाकर देखा गया तो अभियुक्त के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगने से घायल हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मारूक अहमद उर्फ राजा पुत्र महमूद अहमद निवासी पूरे हसन मजरे हरकरनपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 28 वर्ष बताया। अपाचे मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 के 2792 के कागजात मांगने पर दिखा न सका।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि ग्राम पूरे मातादीन तिवारी मजरे बेरारा की एक महिला से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसको मैनें दिनांक 15.09.2024 को फोन करके मिलने के लिए गांव के बाहर ट्यूबबेल के पास बुलाया था जहां हम दोनों मिले थे तदोपरान्त महिला मेरे साथ चलने की जिद करने लगी मैं उसको अपने साथ नही ले जाना चाहता था इसी बात को लेकर हमदोनो मे कहासुनी हो गयी। मैने गुस्से में पास में पड़ी ईंट उठाकर जान से मारने की नियत से उसके सिर पर मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और मैं वहीं पेड़ के पास ईट फेंककर भाग गया था। घायल अभियुक्त को चिकित्सकीय इलाज हेतु सीएचसी फुरसतगंज भेजा गया। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल ईंट बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबन्ध में थाना जायस पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान- नसीराबाद रोड़ लोहिया पुल के पास से , **दिनांक-** 22.09.2024, **समय-** करीब 23:40 बजे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- मारूक अहमद उर्फ राजा पुत्र महमूद अहमद निवासी पूरे हसन मजरे हरकरनपुर थाना जामो जनपद अमेठी उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी-

1. 01 अदद तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
2. एक अदद मोबाइल फोन विवो।
3. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईट।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 254/24 धारा 103 (1) बीएनएस थाना जायस जनपद अमेठी (में वांछित)।
2. मु0अ0सं0 255/24 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी।
3. अपाचे मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 के 2792। (धारा 207 एम0वी0 एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रवि कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना जायस जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 रजोल सिंह थाना जायस जनपद अमेठी।
3. हे0का0 जावेद खान थाना जायस जनपद अमेठी।
4. का0 सुमेश चन्द्र मौर्य थाना जायस जनपद अमेठी।
5. का0 हरेन्द्र यादव थाना जायस जनपद अमेठी।
6. का0 विपिन सिंह थाना जायस जनपद अमेठी।
7. का0 शशिकान्त थाना जायस जनपद अमेठी।
8. का0 अंकित सिंह थाना जायस जनपद अमेठी।

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त मारूक अहमद उर्फ राजा

- मु0अ0सं0 190/24 धारा 364A, 323,504,506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जायस जनपद अमेठी।